कार्यालय आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
द्वितीय तल, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल

क्रमांक/शौर्य संकल्प/2026-27/ 805 भोपाल, दिनांक 27/04/2026 ~~/ /2026~~

प्रति,

आयुक्त
जनसंपर्क संचालनालय
मध्यप्रदेश

विषयः- शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 अंतर्गत आवेदन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में ।

विषयांतर्गत लेख है कि पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 के संबंध में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाना है। अतः संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए समाचार पत्रों की एक-एक प्रति इस विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

27/04/2026
आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश

म.प्र. शासन

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026

शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना2026 - अंतर्गत नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति

म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों/पुलिस/होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के निम्नलिखित जिला मुख्यालयों पर पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों के लिए निम्नानुसार पृथक-पृथक आवासीय प्रशिक्षण संचालित किया जाना है-

क्र०	प्रशिक्षण अवधि	कुल प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	प्रति प्रशिक्षण केन्द्र निर्धारित प्रतिभागियों की संख्या	योजना अंतर्गत कुल लाभार्थी संख्या	योजना में सम्मिलित जिले
1	2	3	4	5	6
1.	45 दिवस	40 (कॉलम 6 में उल्लेखित प्रत्येक जिले में 2)	100	4000	भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, शहडोल. रीवा, नर्मदापुरम, मुरैना, रायसेन, खण्डवा, मंदसौर, टीकमगढ़, छिन्दवाड़ा, गुना, अनूपपुर, सतना, बैतूल एवं भिण्ड

*अपरिहार्य स्थिति में स्थान परिवर्तनीय है।

2. योजनांतर्गत आवेदन प्रक्रिया :-

- योजना अंतर्गत आवेदन विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से **दिनांक 11.05.2026** तक कार्यालयीन समय शायं 6:00 बजे **संबंधित जिले में** किए जा सकेगें।
- आवेदन प्रक्रिया पूर्णत: ऑफलाइन एवं नि:शुल्क रहेगी।
- योजना अंतर्गत आवेदन प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.bcwelfare.mp.gov.in एवं योजना में सम्मिलित 20 जिला मुख्यालयों पर संचालित "कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण" पर उपलब्ध रहेगा।
- निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए दिनांक **11.05.2026** तक तक कार्यालयीन समय शायं 6:00 बजे योजना में सम्मिलित संबंधित

जिले में संचालित **कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण** में जमा करना अनिवार्य होगा।

- **योजना में सम्मिलित 20 जिलों के अतिरिक्त** मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के अभ्यर्थी **योजना अंतर्गत चयनित 20 जिलों में से किसी भी जिले** के कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण में आवेदन प्राप्त एवं जमा कर सकेंगे।
- अभ्यर्थी योजना अंतर्गत उपरोक्त 20 जिलों में से किसी भी एक जिले के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा।

3. पात्रता की शर्तें -

- मध्यप्रदेश का मूलनिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी योजनांतर्गत पात्र होगा।
- अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग में नॉन-क्रीमिलेयर श्रेणी में होना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता - न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी की शारीरिक मापदण्ड अंतर्गत न्यूनतम ऊंचाई पुरुष 168 से.मी., महिला 155 से.मी. होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी सैन्य भर्ती हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड धारित करता हो, जैसे फ्लेट फुट, नॉक-नी ना होना, परस्पर घुटने ना मिलना, दृष्टि, जबड़े एवं निरोगी होना आवश्यक होगा।
- आयु - सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों/पुलिस/होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा।

4. योजना अंतर्गत अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया -

- प्रति प्रशिक्षण केंद्र हेतु निर्धारित प्रशिक्षणार्थी संख्या से अधिक संख्या में आवेदन आने पर आवेदित अभ्यर्थी के 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। समान अंकों की स्थिति में अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता प्रदान की जावेगी।
- योजना नियम अनुसार अर्हकारी मापदण्डों के आधार पर विभागीय सहायक संचालक/नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण हेतु अंतिम चयन किया जाएगा। चयन के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

5. योजना अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं-

- सैद्धांतिक प्रशिक्षण - योग्य एवं अनुभवी ट्रेनर के निर्देशन में निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति, गणित, कम्प्यूटर, अंग्रेजी एवं अन्य आवश्यक विषयों का प्रतिदिन 04 घण्टे प्रशिक्षण।
- शारीरिक प्रशिक्षण - शारीरिक क्षमता विकास हेतु योग्य एवं अनुभवी ट्रेनर के निर्देशन में प्रतिदिन 03 घण्टे (प्रातः एवं शायंकाल) शारीरिक प्रशिक्षण यथा रनिंग, ऊँची-कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक एवं अन्य समकक्ष शारीरिक गतिविधियां।

- अन्य सुविधाएं - निःशुल्क भोजन एवं आवास व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षण सामग्री एवं प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित दर अनुसार शिष्यवृत्ति राशि का भुगतान अभ्यर्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।
- प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय प्रकृति का होगा।

6. योजना क्रियान्वयन के संबंध में अन्य प्रावधान निम्नानुसार होंगे -

- योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिले के जिला कलेक्टर की निगरानी में होगा, इस हेतु जिला कलेक्टर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो कि अपर कलेक्टर स्तर का होगा। योजना अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण केंद्रों का नियंत्रणकर्ता अधिकारी संबंधित जिले का विभागीय सहायक संचालक होगा।
- योजना की विस्तृत जानकारी संबंधित जिले के सहायक संचालक कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट www.bcwelfare.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
- विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात तथा अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु चयन से पूर्व यदि योजना के स्वरूप तथा नियमों में कोई परिवर्तन होता है तो योजना का परिवर्तित स्वरूप तथा नियम ही मान्य होगें।
- समस्त विवादों की स्थिति में म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
- किसी भी समय अपरिहार्य कारणों से उक्त योजना स्थगित करने/परिवर्तित करने का म.प्र. शासन का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

27/04/2026

आयुक्त

For पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश

शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना अंतर्गत आवेदन पत्र 2026

पासपोर्ट साइज फोटो

Application No.: _____

(इसे कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1. Personal Details / व्यक्तिगत विवरण

Full Name / पूरा नाम : _____

Father's Name / पिता का नाम : _____

Mother's Name / माता का नाम : _____

Date of Birth / जन्म तिथि: _____

Gender / लिंग : _____ Marital Status / वैवाहिक स्थिति : _____

Nationality / राष्ट्रीयता : _____

अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति : _____

मूल निवास का जिला :_____

2. Contact Details / संपर्क विवरण

Permanent Address / स्थायी पता : _____

_____

Residential Address / वर्तमान पता : _____

_____

Mobile Number / मोबाइल नंबर : _____

Email ID / ईमेल आईडी : _____

3. Educational Qualification / शैक्षणिक योग्यता

Exam Passed	Board	Passing Year	Percentage %
10th			
12th			

4. Other qualification / अन्य योग्यता :

4.1 आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है यदि हां तो □ बाक्स पर निशान लगायें।

4.2 आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है यदि हां तो □ बाक्स पर निशान लगायें।

4.3 आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नॉन क्रीमीलेयर (NCL) प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है यदि हां तो □ बाक्स पर निशान लगायें।

(आवेदन पत्र के साथ बिन्दु क्रमांक 3 एवं 4 से संबंधित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें)

5. वर्तमान में कार्य का विवरण अध्ययन/बेरोजगार :_____

6. Identification Details / पहचान विवरण

Aadhaar Number / आधार संख्या : _____

Identification Mark / पहचान चिन्ह : _____

7. चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा जो कि सभी के लिए मान्य होगा।

8. Declaration / घोषणा

I hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge.

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं कही भी रोजगार से संलग्न नहीं हूं। मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है एवं ना ही कोई प्रकरण मान० न्यायालय में विचाराधीन है।

Place / स्थान : _____

Date / दिनांक : _____

Signature of Candidate / अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:

_____